

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 103/2021

वादी:-

श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री ओम प्रकाश छाजेड, जाति ओसवाल

निवासी: कल्याणपुरा, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर, हाल 1/5 राजू मेशन,
घाटकोपर (ईस्ट) मुंबई।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपुत
2. जालमसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति राजपुत

निवासीगण: ग्राम चौपासनी जागीर, पँवार कृषि फार्म, तहसील व जिला
जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-

वादी की ओर से श्री सुनील व्यास एवं श्री अमित दाधिच

प्रतिवादीगण की ओर से श्री भूपतसिंह जोधा

आदेश

दिनांक 13-02-2024

वादीनी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया और निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि ग्राम चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसके खसरा नम्बर 324/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम है। वादी ने अपनी भूमि के पडौस के रूप में पूर्व दिशा में श्रीमती सुशीलादेवी की भूमि खसरा नम्बर 325/126, पश्चिम दिशा में श्रीमती कमलकंवर की भूमि खसरा नम्बर 125, उत्तर दिशा में श्री ओमप्रकाश छाजेड वगैरा की भूमि खसरा नम्बर 323/126 एवं दक्षिण में श्री खींवराज वगैरा की ग्राम पाल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 93 अंकित की है। वादीनी ने अपने वाद में यह भी अंकित किया है कि पूर्व में यह भूमि श्री लिछमणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 126 की रही है। जिसका कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा है। यह खसरा नम्बर वाली भूमि लिछमणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह के देहावसान के पश्चात उसके वारिसान झूंझार सिंह के नाम इन्द्राज हुई। झूंझार सिंह पुत्र श्री सिमरथ सिंह ने यह भूमि खेत खसरा नम्बर 126 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा दिनांक 6-4-1972 को खींवराज पुत्र श्री सोहनराज बोहरा बाडमेर वालों को



13/2/24
सहायक कलक्टर एवं
अधिकारी

जरिये पंजीबद्ध बेचान के बेचान कर दिया। खींवराज बोहरा पुत्र श्री सोहनराम बोहरा द्वारा उक्त भूमि में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जगदीशचन्द्र वगैरा को दिनांक 15-1-1994 को पंजीबद्ध बेचान के द्वारा बेचान कर खसरा नम्बर 324/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया। श्री जगदीशचन्द्र वगैरा ने यह भूमि को वादिनी को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा के बेचान कर उसका कब्जा सुपुर्द किया। इस प्रकार वादिनी उक्त भूमि पर काबिज मालिक चली आ रही है।

2- यह है कि वादिनी ने अपने वाद में यह भी जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह बहुत तेज एवं लडाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसने वादिनी की उक्त भूमि पर फरवरी 2000 से जबरन कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से कोई हक या अधिकार या हिस्सा निहित नहीं है। वादिनी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वह वादग्रस्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेंवे तथा कब्जा वादिनी को सुपुर्द कर दें। दिनांक 13-6-2008 को आखिरी बार कब्जा सुपुर्द करने का प्रतिवादीगण को कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने वादिनी को मौके पर कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया। इस कारण वादिनी को यह वाद बरखिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना पडा। वादिनी ने अपने वादपत्र में यह इस्तदुआ चाही है कि वादिनी को ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 324/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की बेदखली की डिक्री पारित किया जाकर वादिनी को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

3- यह है कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने वादिनी के कथनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया कि वादिनी ने जिन पडौस का उल्लेख किया है, उन पडौस के बीच खसरा नम्बर 324/126 जैसा कोई खसरा स्थित नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी कथन किया कि खसरा नम्बर 324/126 की कोई भूमि का न तो खातेदार है और न ही उनका कोई मालिकाना अधिकार है। वादिनी ने यदि राजस्व रेकॉर्ड में कोई मिलावटी इन्द्राज करवाये है तो उनसे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा उनकी कोई कानूनी अहमियत भी नहीं है। वादिनी ने जिस जमाबंदी का उल्लेख किया है, उस जमाबंदी के इन्द्राज बिना किसी आधार के किए हुए है।

4- यह है कि वादिनी ने अपने वाद के विशेष कथन में यह उल्लेखित किया है कि वादिनी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली का कोई अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण वादिनी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली हेतु काबिल चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण स्वर्गीय लिच्छमणसिंह के जीवनकाल से ही उनका शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण के इस खेत के अलावा अन्य खसरा नम्बर 127 मिलाकर चारों ओर पट्टियां खड़ी की हुई है तथा फाटक लगी हुई है। इन खेतों पर 15-20 मकानात बने हुए है जिसमें वर्षो पूर्व बिजली एवं पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। वादिनी अथवा खींवराज का वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का इस भूमि पर मुखालपाना कब्जा पुख्ता हो चुका है एवं प्रतिवादीगण के अनुसार वे इस भूमि के कानूनी खातेदार बन चुके है तथा इस आशय की घोषणा के साथ काउण्टर क्लेम पेश किया है। प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 126 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

5- यह है कि वादिनी ने प्रतिवादीगण के जवाबदावा का जवाबबुल जबाब एवं प्रतिदावा का जवाबदावा पेश किया। वादिनी ने अपने जवाबबुल जवाब में प्रतिवादीगण के जवाबदावे का खण्डन किया। वादिनी ने अपने जवाबबुल जवाब में यह कथन उल्लेखित किया कि वादिनी के पक्ष में जो रजिस्ट्री है उसमें पडौस सही अंकित किये

13/12/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)



गये है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर गैरकानूनी कब्जा जारी रखने का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। वादिनी ने प्रतिवादीगण के विशेष कथन का जवाब दिया है और कहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा रावथा मलत, रो यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर मुखालपाना/अग्रिम कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य इस भूमि से संबंधित खातेदार बनने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का काउण्टर वलेम इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए प्रतिवादीगण का यह काउण्टर वलेम अविलम्ब खारिज फरमाया जावे तथा वादिनी का वाद अविलम्ब स्वीकार फरमाया जावे।

6- यह है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर वलेम एवं वादिनी द्वारा जवाबदावा व प्रतिदावे का जवाबबुल जवाब का अवलोकन कर वादिनी एवं प्रतिवादीगण की प्लीडिंग के अनुसार तनकियात कायम की गई जो निम्न है:-

1- आया वादिनी खसरा नम्बर 324/126 रकबा 2 बीघा 10 विरवा गौजा चौपासनी जागीर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाये जाने एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
(जिम्मे वादिनी).

2- आया वादिनी प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के कब्जा किए जाने से बेदखली की तिथि तक शास्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
(जिम्मे वादिनी).

3- आया वादिनी रथाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने के अधिकारिणी है।
(जिम्मे वादिनी).

4- आया वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण).

5- आया प्रतिवादीगण मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है।
(जिम्मे प्रतिवादीगण)

6- आया वादिनी का वाद विधिसम्मत होने से वादिनी का वाद लाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।
(जिम्मे वादिनी).

7- अनुतोष

7- यह है कि वादिनी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 वर्तमान जमाबंदी , प्रदर्श 2 खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श 3 सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रदर्श 7 बयान झूंझार सिंह प्रदर्श 4 सक्सेसन आवेदनपत्र, प्रदर्श 5 उजरदारी विडोल प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 6 उजरदारी निर्णय, प्रदर्श 8 नामान्तरकरण लिछमणसिंह, प्रदर्श 9 नामान्तरकरण झूंझार सिंह, प्रदर्श 10 से 13 गिरदावरी, प्रदर्श 14 बेचाननामा बहक खींवराज, प्रदर्श 15 जमाबंदी, प्रदर्श 16 व 17 जमाबंदी खाता लिछमणसिंह, प्रदर्श 18 जमाबंदी खाता झूंझार सिंह, प्रदर्श 19 व 20 जमाबंदी खाता खींवराज, प्रदर्श 21 से 34 ढाल बांच, प्रदर्श 35 राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय प्रतापसिंह बनाम पीयूष वगैरा दिनांक 16-6-2008, प्रदर्श 36 एवं 37 नकल प्रार्थनापत्र, प्रदर्श 38 बेचाननामा बहक जगदीशप्रसाद धारीवाल , प्रदर्श 39 नामान्तरकरण संख्या 252 की प्रमाणित प्रति तथा प्रदर्श 40 वादिनी के पक्ष में किया गया बेचाननामा तथा प्रदर्श 41 नामान्तरकरण बहक वादिनी पेश की। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज प्रदर्श ए-1 मुआवजा प्रार्थनापत्र सिमरथसिंह, प्रदर्श ए-2 बेचान दस्तावेज दिनांक 6-4-1972, प्रदर्श ए-3 रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, प्रदर्श ए-4 व प्रदर्श ए-5 लिस्ट जागीर चौपासनी, प्रदर्श

13/2/24

सहायक कलक्टर एवं
अधिकारी

ए-6 पसयतेदार चौपासनी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। वादिनी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 सुमित्रा देवी, पी.डब्ल्यू 2 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू 3 विजय चौधरी के बयान करवाये। प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्ल्यू 1 जालमसिंह के बयान करवाये गये।

उपरोक्त वाद जवाबदावा एवं जवाबुल जवाब को पढा गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को भी पढा गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। मेरा निर्णय तनकी बिन्दुवार निम्न है:-

1- तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादिनी पर है। वादिनी ने इस तनकी को साबित करने के काम में दस्तावेज बेचाननामा प्रदर्श 38 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की एवं जगदीशप्रसाद के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 252 प्रदर्श 39 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। साथ ही प्रदर्श 40 बेचाननामा बहक वादिनी एवं प्रदर्श 41 वादिनी के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण पेश की। जिससे यह साबित होता है कि वादिनी उक्त भूमि की क्रेता है एवं जमाबंदी प्रदर्श 1 से यह भलीभांति साबित है कि वादिनी वादग्रस्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार है। वादिनी ने अपने इस खातेदारी एवं कब्जे को साबित करने के काम में स्वयं के बयान पी.डब्ल्यू 1 तथा पीडब्ल्यू 2 तथा पी.डब्ल्यू 3 के बयान करवाये गये। वादिनी ने अपने बयान में अपने वाद की ताईद की है। वादिनी के कब्जे के सम्बन्ध में जमाबंदी प्रदर्श 1 बेचाननामा प्रदर्श 38 से साबित है कि वादिनी वादग्रस्त आराजी की खातेदार है। पी. डब्ल्यू 2 ओमप्रकाश ने वादिनी के यहां काम करना जाहिर किया तथा कब्जा भी वादिनी का स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू 3 ने भी अपने सशपथ बयानों में वादिनी का कब्जा स्वीकार किया। प्रतिवादीगण ने वादिनी के कब्जे को अस्वीकार किया परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादिनी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वादिनी के खातेदारी हकूकों को चैलेंज किया है। इस पर वकील वादिनी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण की ओर से सबसे अच्छी साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह स्वयं था जो जवाबदावे के बारे में कथन कर सकता था परन्तु प्रतिवादी प्रतापसिंह स्वयं साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई भी स्वतन्त्र मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की। केवल मात्र डी डब्ल्यू 1 जालमसिंह के बयान कराये है। वकील वादिनी ने अपनी बहस में यह जाहिर किया कि प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी स्वयं प्रतिवादी जालमसिंह ने अपनी उम्र 40 वर्ष होना जिरह में स्वीकार किया है। इससे साफ जाहिर है कि 40 वर्ष से अधिक पुरानी स्थिति के बारे में वह कुछ भी साक्ष्य नहीं दे सकता है। स्वयं डी.डब्ल्यू 1 जालमसिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि किशोरसिंह एवं झूझार सिंह को देखने का काम नहीं पडा। झूझार सिंह द्वारा किये गये बेचाननामे को स्वीकार किया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को भी स्वीकार किया। प्रतिवादी गवाह डी.डब्ल्यू 1 ने यह भी स्वीकार किया कि झूझार सिंह द्वारा खींवराज के पक्ष में बेचाननामा प्रदर्श ए-2 को खारिज करवाने की कोई कार्यवाही न करना स्वीकार किया क्योंकि उसे इसकी जानकारी सन 2000 होने का कथन किया है। उसके द्वारा जिरह में यह भी कहा गया कि सन 2000 के बाद भी बेचाननामे को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई है। खींवराज के नाम जो नामान्तरकरण भरा गया उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही न करना स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 126 में किशोरसिंह व प्रतापसिंह के नाम की खातेदारी नहीं रही है। डीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में अपने पिता के बारे में स्वीकार किया कि प्रतापसिंह आज की तारीख में घर पर है चल फिर सकते है और बोल सकते है। प्रतापसिंह को जितनी जानकारी है उतनी मुझे नहीं है। यदि झूझारसिंह के स्वत्व के दस्तावेज सही पाये जाते है तो भी हम जमीन खसरा नम्बर 126 खाली नहीं करेंगे। डीडब्ल्यू 1 ने यह भी स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 126 में उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में है। उपरोक्त वादिनी एवं प्रतिवादीगण के बयानों के विवेचन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि

13/12/14
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)



वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है एवं प्रतिवादीगण का कब्जा अनाधिकृत पाया जाता है। इस प्रकार वादिनी अपनी तनकी को साबित करने में सफल रही है इस कारण यह तनकी वादिनी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2- आया प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि के कब्जा किये जाने की तिथि से बेदखली की तिथि तक शास्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था। वादिनी के अधिवक्ता ने इस तनकी पर अपनी बहस में यह कथन किया कि प्रतिवादीगण से शास्ति दिलवाई जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर के कब्जे में है। इस कारण शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों को सुना गया एवं तथ्यों पर मनन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर के कब्जे में है। इन परिस्थितियों में वादिनी को प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार की शास्ति नहीं दिलवाई जा सकती। इस प्रकार यह तनकी वादिनी के विरुद्ध तय की जाती है।

3- आया वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाये जाने की अधिकारिणी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर है। वकील वादिनी ने अपनी बहस में दस्तोवेजी साक्ष्य बताकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि वादिनी रेकर्डेड खातेदार है। वादिनी को रेकर्डेड खातेदारी अधिकार को सुरक्षित रखना न्यायसम्मत है। वकील प्रतिवादीगण ने वादिनी के कथनों का जवाब देते हुए कहा कि वादिनी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। हमने दोनों पक्षों को सुना एवं मनन किया। वादिनी जो कि रेकर्डेड खातेदार है न्यायालय का मत है कि रेकर्डेड खातेदार की उसकी खातेदारी भूमि की रक्षा करना न्यायसम्मत है इस प्रकार यह तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

4- आया वादिनी का वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि गलत आधारों पर खातेदारी झूझार सिंह के नाम दर्ज की गई। जबकि उक्त भूमि में किशोरसिंह का भी हिस्सा था। प्रतिवादीगण किशोरसिंह के पुत्र एवं पोत्रगण है। वकील वादिनी ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी झूझारसिंह की खातेदारी भूमि थी। झूझारसिंह ने अपनी भूमि खींवराज को बेचान की। तत्पश्चात खींवराज ने वादग्रस्त भूमि जगदीशप्रसाद धारीवाल को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। तत्पश्चात जगदीशप्रसाद ने यह भूमि वादिनी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। इस प्रकार वादिनी रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के लिए वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। मैंने दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मनन किया। यह विधिसम्मत सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि हेतु वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह बिन्दू प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादिनी के पक्ष में तय किया जाता है।

5- आया प्रतिवादीगण मुखालपाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श ए-1 से प्रदर्श ए-5 पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी जालमसिंह परीक्षित करवाया गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के दौरान बताया कि प्रदर्श ए-1 से ए-6 दस्तावेज से यह साबित होता है कि वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद है एवं प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा बरकरार है। प्रतिवादीगण ने यह भी उल्लेख किया कि प्रदर्श ए-1 बेचाननामा जो कि झूझारसिंह

13/11/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)



द्वारा खींवराज बोहरा के पक्ष में निष्पादित किया है जिसमें गॉव पाल की भूमि दर्शाई गई है। जब कि विवादग्रस्त जायदाद चौपासनी जागीर में है। वादिनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद के सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये हैं, उनसे प्रतिवादीगण को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। चूंकि झुझारसिंह की चौपासनी जागीर के अलावा कोई भूमि पाल गॉव में नहीं थीं ऐसा प्रतिवादी ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है एवं ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रतिवादी ने नहीं पेश किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि पाल में कोई भूमि झुझारसिंह की रही थी। वादिनी के अधिवक्ता ने पूरजोर अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद को झुझारसिंह ने बेचान किया। उक्त बेचाननामों को प्रतिवादीगण ने आज दिन तक चैलेंज नहीं किया है और न ही खींवराज के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण को चैलेंज किया है और न ही वादिनी के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण को चैलेंज किया है। मैंने दोनों पक्षों को सुना और दस्तावेजी सबूतों पर गौर किया। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज वादग्रस्त जायदाद से संबंधित पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण का विधिक कब्जा साबित होता हो। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य के रूप में मात्र जालमसिंह को परीक्षित करवाया। प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर वाद को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की जिससे प्रतिवादीगण का वैध कब्जा साबित होता हो। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ एवं वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

6- आया वादिनी का वाद विधिसम्मत होने से वादिनी को वाद लाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर है। वादिनी के अधिवक्ता ने इस तनकी को साबित करने हेतु अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद वादिनी के पूर्व केता खींवराज द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामे के खरीद की गई उसका बेचाननामा प्रदर्श 14 है, जिसका बाद में नामान्तरण भरा गया जो प्रदर्श 15 है। वादग्रस्त भूमि खींवराज की खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा खातेदार खींवराज ने उक्त भूमि जगदीशप्रसाद को बेचान की गई जो बेचाननामा प्रदर्श 38 है और जगदीशप्रसाद के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण प्रदर्श 39 है। खातेदार जगदीश द्वारा वादिनी को उक्त भूमि बेचान की गई जो बेचाननामा प्रदर्श 40 है एवं वादिनी के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण प्रदर्श 41 है। वादिनी की जमाबंदी प्रदर्श 1 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादिनी बतौर खातेदार काबिज है। इस तनकी का विरोध करते हुए वकील प्रतिवादीगण ने कहा कि वादिनी को कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त जायदाद एकमात्र प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद है। मैंने दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि वादग्रस्त जायदाद वादिनी की खरीदसुदा जायदाद है एवं वादिनी रेकर्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज है। हर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिए कानूनन वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। अलावा यदि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद होती तो प्रतिवादीगण की अकेले न होकर लिक्षमणसिंह के सभी वारिसान की होती। प्रतिवादीगण ने लिक्षमणसिंह के किसी भी वारिसान के बयान नहीं कराये हैं जो यह ताईद करता की उक्त भूमि पुश्तैनी रही है। इससे यह भलिभॉति प्रमाणित है कि वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जायदाद नहीं रही है। इस प्रकार यह तनकी वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।


7- अनुतोष। दोनो पक्षों को सुना गया। वादिनी ने तनकी संख्या 1, 3, 6 को साबित करने में सफल रही है तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4 व 5 साबित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार वादिनी का वाद बहक प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

13/1/24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)



आदेश

वादिनी का वाद बाबत खसरा नम्बर 324/126 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मौजा चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर को प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाता है। साक्ष्य अनुसार स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त जायदाद रिसीवर तहसीलदार जोधपुर के कब्जे में है। अतः तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 324/126 मौजा चौपासनी जागीर वाली भूमि का कब्जा वादिनी को सुपुर्द करें एवं प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण वादिनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 324/126 मौजा चौपासनी जागीर वाली भूमि के वादिनी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जोधपुर को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।



(मनोज कुमार कलकटर एवं

सहायक जिला अधिकारी

उपखण्ड जोधपुर (दक्षिण) दक्षिण

आदेश आज दिनांक 13-02-2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।



(मनोज कुमार कलकटर एवं

सहायक जिला अधिकारी

उपखण्ड जोधपुर (दक्षिण) दक्षिण